फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
किशनसिंह बनाम मालीराम वगै0
केस संख्या : प्रा.पत्र 120/2025
किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम – 1955

केस संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/09/2025	पत्रावली प्रस्तुत/वकील प्रार्थी उप./प्रार्थी के पीठासीन खीज व ट्रेक पेश की। मुतालिक ट्रेक सिर्फ तामील पूर्ण हो चुकी है। वास्ते कंतवार अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 06/10/2025 को पेश हो।
	24/9/25	पत्रावली आज दिनांक 24-09-25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट ... बार एसो. द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली ... दिनांक 6/10/25 को पेश हो।
	6/10/25	पत्रावली आज दिनांक 06-10-25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट ... बार एसो. द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली ... दिनांक 16/10/25 को पेश हो।
	16/10/25	पत्रावली प्रस्तुत/वकील प्रार्थी उप./अप्रार्थीगण अनुपस्थित है अतः पेशी पर अनुपस्थित रहने पर CPC के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली दिनांक 17/10/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	17/10/2025	पत्रावली प्रस्तुत/वकील प्रार्थी उप./अप्रार्थी संख्या-2 अनुपस्थित है अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः दिनांक 16/09/2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:08:38 IST
Reason: SelfAttested